<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश</u>

अधिवक्ता पंजीकृत के लिए दिये जाने वाले आवेदन–पत्र में निम्मलिखित बातों का होना अनिवार्य है।

1. आवेदक का नाम अंग्रजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक हो।
2. प्रपत्र में निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थानों पर आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर हो।
3. दिनांक 01 जनवरी 2015 से आवेदक/आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता /पति का वोटर कार्ड/आधार कार्ड/फोटोयुक्त निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उपरोक्त के बिना पंजीकरण होना सम्भव न होगा।
4. हाई स्कूल, स्नातक और विधि स्नातक (एल0एल0बी0) की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि के साथ मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। इसके अतिरिक्त स्नातक पास, अंक पत्र की मूल प्रति अवश्य दाखिल करें।
5. यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो एल0एल0बी0 परीक्षा के अन्तः कालीन (प्राविजनल) मूल प्रमाण पत्र एवं विधि स्नातक, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मूल अंक तालिका एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करें।
6. यदि हाईस्कूल का मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्वरण, साथ में इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अमुक उद्वरण केवल आवेदन से ही सम्बन्धित है।
7. यदि आवेदक/आवेदिका कभी नौकरी में रहा तो सेवा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) ,त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) के कारण नौकरी छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र अधिकारी गण की मोहर सहित एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न कीजिये।
8. नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र दस रूपये के मुद्रण पत्र पर होनी चाहिये। शपथ–पत्र का प्रारूप इस पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित है।

9. <u>सामान्य अभ्यार्थी द्वारा देय शुल्क :</u>

(अ) पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 1000/ (एक हजार मात्र) के रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो **<u>ADHIVAKTA HITKARI SAMITI BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा

(ब) बार कौंसिल के प्रस्ताव संख्या 1842/2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है उनके द्वारा रूपये 3000/– (तीन हजार मात्र) का रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ़्ट जमा करना है जो कि **<u>ADHIVAKTA HITKARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD</u>** के नाम से देय होगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों/आवेदिकाओं को यह शुल्क नहीं देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।

(स) पंजीकरण शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 7515/ (सात हजार पांच सौ पन्द्रह) के रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो **<u>BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH, ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा। इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है)

(द) 150/ (एक सौ पचास रूपये) के रेखांकित (एकाउंटपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा **<u>BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा।

(य) नियम 40 अन्तर्गत रूपये 1000/– (एक हजार का बैंक ड्राफ्ट) **<u>AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI U.P. ALLAHABAD</u>** के नाम से संलग्न करे।

(र) बार कौसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष से 50 वर्ष तक रूपये, 5000/ (पांच हजार रूपये) तथा 50 वर्ष से अधिक एवं सेवानिवृत्त वाले व्यक्तियों के लिए रूपये 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) **<u>BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH, ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा।

<u>अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी द्वारा देय शुल्कः</u>

(अ) पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 1000/ (एक हजार मात्र) के रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो **<u>ADHIVAKTA HITKARI SAMITI BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा

(ब) बार कौंसिल के प्रस्ताव संख्या 1842/2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है उनके द्वारा रूपये 3000/– (तीन हजार मात्र) का रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ़्ट जमा करना है जो कि **<u>ADHIVAKTA HITKARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD</u>** के नाम से देय होगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों/आवेदिकाओं को यह शुल्क नहीं देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।

(स) पंजीकरण शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 4515/ (चार हजार पांच सौ पन्द्रह) के रेखांकित (एकाउन्टपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो **<u>BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH, ALLAHABAD</u>** के नाम से होगा। इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है)

(द) 250/ (पच्चीस रूपये मात्र) के रेखांकित (एकाउंटपेयी) बैंक ड्राफ्ट द्वारा **BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD** के नाम से होगा।

(य) नियम 40 अन्तर्गत रूपये 1000/– (एक हजार का बैंक ड्राफ्ट) **AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI U.P. ALLAHABAD** के नाम से संलग्न करे।

(र) बार कौसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष से 50 वर्ष तक रूपये, 5000/ (पांच हजार रूपये) तथा 50 वर्ष से अधिक एवं सेवानिवृत्त वाले व्यक्तियों के लिए रूपये 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) **BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH, ALLAHABAD** के नाम से होगा।

1. यदि आप अनुसूचित जाति के है तो अपना जाति प्रमाण–पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें।
2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया 500/ (पाँच सौ रूपये) का सामान्य मुद्रांक पत्र (जनरल स्टाम्प पेपर) जो प्रार्थी अपने नाम से खरीदे।
3. पाँच पासपोर्ट साइज के फोटो ग्राफ जो कोट टाई या बन्द गले का कोट या शेरवानी मे ही,आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदनपत्र में दिये गये निर्देशानुसार किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/जज, बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वाराप्रमाणित होने चाहिये।
4. चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट,जज, बार कौसिल आफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिये।
   (अ) पूर्ण विवरण नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रमाण दिया जाये।
   (ब) यदि अधिवक्ता द्वारा चरित्र प्रमाणित किया जाता है। तो उसका पंजीकरण संख्या तथा वे अभ्यार्थी के स्थायी निवास के निवासी होने चाहिये।
5. यदि आप प्लीडर हो तो कृपया उसका प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें साथ में जिला जज द्वारा प्राप्त एक पत्र भेजें कि आप कब प्लीडर के रूप में पंजीकृत रहकर वकालत किये है।
6. पंजीककरण के पश्चात उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ द्वारा संचालित ''अधिवक्ता भविष्य निधि योजना'' की सदस्यता हेतु आवेदन करें। योजना का लाभ उठायें।
7. यदि आवेदक द्वारा किसी विभाग में सेवारत रहते हुए विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की गई है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति सम्बन्धित प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

नोट– सभी कागजातों एवं मूल प्रमाण पत्रों को ठीक से नत्थी करकें कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करे ले अन्यथा प्रमाण पत्र खोने की जिम्मेदारी कार्यालय पर नहीं होगी।

नोट– माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुद्ववार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा।

नोट– कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम व पता अवश्य लिखे तथा बैंक ड्राफ्ट और 500/–का जनरल स्टाम्प पेपर की फोटो कांपी अवश्य लगायें।

पूछताछ हेतु 0532-2623501 पर संपर्क करे ।

सचिव
बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश